संख्या :-01/2019/3870/33-01-2018/यू0ओ0-124/18

प्रेषक,

प्रवीण कुमार लक्षकार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0, लखनऊ।

2- सचिव,
उ0प्र0 राज्य जैव विविधता बोर्ड,
लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-1 **लखनऊ** **दिनांक 02 जनवरी, 2019**

विषय: जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर राष्ट्रीयकृत कामर्शियल बैंकों में जैव विविधता निधि का पृथक से खाता खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-6089/33-03-99-222/99, दिनांक 03.11.1999, शासनादेश संख्या-5100/33-03-2002-125/99, दिनांक 25.01.2006, शासनादेश संख्या-515/33-03-2007/70/2007, दिनांक 11.04.2007, शासनादेश संख्या-2226/ 33-03-2012-176/2012, दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 एवम् शासनादेश संख्या-278/ 33-3-2015-100(II)/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना है कि सम्प्रति ग्राम पंचायत स्तर पर गांव निधि के सात खाते रखे जाने के निर्देश है, जिनसे विभिन्न योजनाओं की धनराशियाँ रखी जाती है।

जैव विविधता के संरक्षण उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग और जैव संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों में उचित और साम्यपूर्ण हिस्सा बंटाने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 प्रख्यापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 41 में प्रत्येक स्थानीय निकाय स्तर पर प्राविधानित जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन एवम् धारा 42 से धारा 47 तक स्थानीय जैव विविधता निधि की स्थापना हेतु अनिवार्य प्रावधान किए गए हैं।

2- अत: श्री राज्यपाल महोदय ''जैव विविधता अधिनियम, 2002'' के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत की गांव निधि का राष्ट्रीयकृत बैंक में एक पृथक खाता रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं, जो ''ग्राम निधि खाता संख्या-08(जैव विविधता)'' कहलायेगी।

इस खाते का संचालन निम्नलिखित शतोर्ं के अधीन किया जायेगा :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त खाता बचत खाता होगा।

(2) प्रस्तावित बैंक खाता ''ग्राम निधि खाता संख्या-08(जैव विविधता)'' शीर्षक से खोला जायेगा और उसका संचालन पंचायत राज अधिनियम तथा नियमों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव, ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(3) इस खाते में केवल वही धनराशि रखी जायेगी, जिस हेतु इसे खोला गया है। किसी अन्य कार्य हेतु इस खाते का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अन्यथा निदेशक, पंचायती राज तथा संबंधित अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी होगें।

(4) प्रश्नगत खाता योजनावधि तक चालू रखा जायेगा। योजनावधि के समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार खाते को बंद कर दिया जायेगा।

(5) खाते के संचालन एवं रख-रखाव में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित अनुपालन किया जायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह आदेश वित्त विभाग से उनके अ0शा0पत्र संख्या-एफ0ए-1-267/दस-2018, दिनांक 31.12.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार लक्षकार)
विशेष सचिव।

संख्या:- **01/2019/3870**(1)/33-1-2018-**तद्दिनाँक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, वन एवम् पर्यावरण, उ0प्र0 शासन।
2- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, लखनऊ।
3- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- समस्त उप वन संरक्षक, उ0प्र0।
6- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।